



भारत सरकार / GOVERNMENT OF INDIA

वित्त मंत्रालय / MINISTRY OF FINANCE

राजस्व विभाग / DEPARTMENT OF REVENUE

राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं स्वापक पदार्थ अकादमी

NATIONAL ACADEMY OF CUSTOMS, INDIRECT TAXES & NARCOTICS,**No.40, Next to HMT School, Jalahalli, Bengaluru-560 013.****Email-** nacen.bangalore@nic.in**Phone No. 080- 23091500.****F.No. NACIN/TRNG/908/2024-TRNG-O/o ADG-NACIN-ZC-BENGALURU****Date:- As e-signed****सार्वजनिक सूचना संख्या / Public Notice No.: ZTI/NACIN/BENGALURU/2025**

विषय / Subject: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी (CPIO) एवं केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी (CAPIO) की नियुक्ति।

Appointment of First Appellate Authority, Central Public Information Officer (CPIO), and Central Assistant Public Information Officer (CAPIO) under the Right to Information Act, 2005

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(1), 5(2) और 19(1) के अंतर्गत, राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं स्वापक पदार्थ अकादमी (NACIN), जोनल कैम्पस, बेंगलुरु के लिए निम्नलिखित अधिकारियों को नामित किया गया है:

In accordance with Sections 5(1), 5(2), and 19(1) of the Right to Information Act, 2005, the following officers are designated for the National Academy of Customs, Indirect Taxes & Narcotics (NACIN), Zonal Campus, Bengaluru:

नामित अधिकारियों का विवरण / Details of Designated Officers

क्रम सं. / S. No.	अधिकारी का नाम और पदनाम / Name & Designation	आरटीआई अधिनियम, 2005 के अंतर्गत पदनाम / Designation under RTI Act, 2005	पूर्ण पता एवं संपर्क विवरण / Address & Contact Details
1	श्री साईनाथ बी. नाइक श्री साईनाथ बी. नाइक, सहायक निदेशक Shri Sainath B. Naik, Assistant Director	केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी Central Public Information Officer (CPIO)	राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर एवं स्वापक पदार्थ अकादमी, जोनल कैम्पस, नंबर 40, एचएमटी फैक्ट्री मेन रोड, एचएमटी स्कूल के बगल में, जलाहल्ली, बेंगलुरु - 560013 दूरभाष / Phone: 080-23091500
2	श्री रामचंद्र हेगडे श्री रामचंद्र हेगडे, सहायक अपर निदेशक Shri Ramachandra M Hegde, Assistant Additional Director	केंद्रीय सहायक लोक सूचना अधिकारी Central Assistant Public Information Officer (CAPIO)	

2. सीपीआईओ के अवकाश, प्रशिक्षण आदि पर होने की स्थिति में, संबंधित लिंक अधिकारी अथवा

संबंधित अनुभाग के पद का कार्यभार देखने वाला अधिकारी स्वतः ही सीपीआईओ हो जाएगा।

2. In the absence of CPIO on leave, training etc., the link officer concerned or the officer who will look after the charge of the post of the concerned section would automatically be CPIO.

3. कोई भी व्यक्ति जो अतिरिक्त महानिदेशक, एनएसीआईएन, जोनल कैम्पस, बेंगलुरु से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करना चाहता है, वह निर्धारित शुल्क के साथ, ऊपर उल्लिखित सीपीआईओ अथवा सीएपीआईओ को अंग्रेजी या हिंदी में लिखित रूप में या इलेक्ट्रॉनिक मेल द्वारा आवेदन कर सकता है।

यदि कोई अपील करनी हो तो वह प्रथम अपीलीय प्राधिकारी को प्रस्तुत की जा सकती है।

3. Any person who desires to obtain information related to the office of the Additional Director General, NACIN, Zonal Campus, Bengaluru, may apply in writing or via electronic mail to the above-designated CPIO or CAPIO, in English or Hindi, along with the prescribed fee.

Any appeal under the RTI Act may be addressed to the First Appellate Authority.

(सुधा कोका) (Sudha Koka)

प्रधान अपर महानिदेशक / Pr. Additional Director General

प्रति / Copy to:

- महानिदेशक, NACIN, पलासमुद्रम - जानकारी हेतु
The Director General, NACIN, Palasamudram – for information
- प्रधान अपर महानिदेशक / अपर महानिदेशक - सभी जोनल कैम्पस
The Pr. ADG/ADG – All Zonal Campuses
- वेबसाइट पर अपलोड हेतु - NACIN, पलासमुद्रम
Officer-in-charge for uploading on NACIN website